<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर</u>

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 05/2021 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
GCMS NO : 2021/20

<u>अनवान</u>

1. लहरसिंह नलवाया पुत्र स्व. जीवनसिंह नलवाया पार्टनर फर्म मैसर्स गौतम मिनिरल्स–12 सोनी जी की बाडी, आयड, उदयपुर (राज.)
2. श्री दिलीप नलवाया पुत्र लहासिंह नलवाया, पार्टनर फर्म मैसर्स गौतम मिनिरल्स–12 सोनी जी की बाडी, आयड, उदयपुर (राज.) दोनो जरिये विशेष अधिकार पत्र श्री राजेश चौबिसा पुत्र श्री प्यारेलाल चौबिसा, निवासी– ब्रह्मस्थली कॉलोनी, डूंगरपुर।

— प्रार्थीगण

<u>बनाम</u>

1. श्री दौलतराम पिता नगजी मीणा, निवासी ढेलाणा, तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर।
2. श्रीमती मोगी देवी पत्नी दौलतराम मीणा, निवासी ढेलाणा, तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर
3. सरकार जरिये, तहसीलदार ऋषभदेव, जिला उदयपुर

— विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री संजय बोहरा, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री दिनेश मीणा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट (1) व (2)

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970</u>
<u>बावत आवंटन निरस्त कराये जाने</u>

* <u>निर्णय</u> *

दिनांक 31-05-2022

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण मौजा ग्राम ढेलाना, तहसील–ऋषभदेव जिला–उदयपुर द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 पेश कर निवेदन किया है कि मौजा ढेलाना, तहसील–ऋषभदेव की (एम.एल. 45/80 नवीं 3/2003) दिनांक 31.05.1984 से 20 वर्ष के लिए किया गया था व संशोधित अध्यादेश 2015 की धारा 8–ए के तहत 31.05.1984 से दिनांक 30.05.2034 तक बढायी गयी है। जिसका पूरक संविदा दिनांक 01.02.2016 को निष्पादित है एंव दिनांक 03.02.2016 से नोटेरी प्रमाणित है तथा वर्तमान में धारित क्षेत्र 24–25 हेक्टेयर है जो प्रार्थी फर्म के पास है। इस माइन्स पर बराबर खनन कार्य चल रहा है, तथा उसके चारों और पिल्लर बने हुए है। ये एरिया प्रार्थीगण को सन् 1984 में आवन्टित होने से इस एरिये में अन्य किसी को भी कोई भी एरिया आवन्टित नहीं किया जा सकता है क्योंकि माइनिंग विभाग के यहां जो एरिया माइनिंग के लिए आवन्टित किया गया है उसका नक्शा माइनिंग विभाग में दे रखा है तथा उसमें राजस्व नक्शे को भी फिट कर रखा है। तथा आराजी न.158 मौजा ढेलाना की प्रार्थी को माइन्स के लिए आवन्टनशुदा जमीन मे आता है तथा [illegible] इस एरिये का दुबारा आवन्टन कृषि प्रयोजनार्थ , औधोगिक प्रयोजनार्थ या किसी अन्य प्रयोजनार्थ आवन्टित नहीं किया जा सकता है। परन्तु इस बात को ध्यान में रखे बिना एंव मौके की स्थिति को देखे बिना कथित जमीन का आवन्टन दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.06.13 11:12:25 IST
Reason: SelfAttested

08.02.2013 को मौजा ढेलाना की आराजी नम्बर 158 रकबा 1.0 हेक्टेयर का आवन्टन कृषि प्रयोजनार्थ कर दिया गया जो एबइनिश्योवोइड है। जब किसी भूमि का आवन्टन किसी भी उद्वेश्य के लिए एक बार हो जाता है, और जब तक आवन्टन निरस्त नहीं हो जावे तब तक उसी भूमि का आवन्टन दुबारा नहीं किया जा सकता है। तथा इस मामले मे विपक्षीगण को किया गया आवन्टन द्वितीय आवन्टन की परिभाषा में आता है।कथित भूमि गैर काबिल काश्त मगरी है जिस पर काश्त की जाना संभव नहीं है जिस पर केवल खनन कार्य ही किया जा सकता है, परन्तु प्राधिकृत अधिकारी उप जिला कलक्टर ने पूर्व का आवन्टन जो माइन्स के लिए किया जा चुका है का दुबारा आवन्टन किया । यह काबिल काश्त भूमि नहीं होकर गैर काबिल काश्त मगरी है जो केवल माइन्स के काम ही आती है। ऐसी कृषि भूमि का आवन्टन धारा–16 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत बार्ड है। परन्तु उप जिला कलक्टर द्वारा इन बातो को नजर अन्दाज करते हुए जो आदेश पारित किया वह बिल्कुल गलत है।कृषि भूमि आवन्टन नियम 1970 नियम 7 के तहत उदधोषणा पत्र जारी करना मेनडेट्री है तथा उदधोषणा पत्र जारी होने के बाद उसकी तामील धारा 61 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत की जाना मेनडेट्री है। परन्तु न तो इस मामले में न तो उदधोषणा पत्र जारी हुआ न ही उदधोषणा पत्र की तामील हुई यह देखे बिना ही सन् 2012 के फार्म पर एक वर्ष बाद आवन्टन कर दिया जो बिना अधिकार के होकर वोइड है। कथित आवन्टन धोखे से करवाया है मिसरिप्रजनटेशन से करवाया है।कथित आवन्टन के बाद के शर्तो की पालना नहीं की गयी व खातेदारी अधिकार भी गलत दिये गये है।इस माामले मे आवन्टन शर्तो की पालना भी नहीं कीन ही कभी जमीन पर काश्त की गई है। विपक्षीगण को आराजी न. 3796/158 रकबा 1.0 हेक्टेयर भूमि की पूरी सीमा पर राजेश द्वारा सोप स्टोन का खनन कार्य किया जा रहा है यह रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा मौके की करने पर जो आदेश दिया वह गलत होकर काबिल निरस्त के है। विपक्षी द्वारा कथित आवन्टन धोखे से करा 20,00,000/–बीस लाख रुपये देने पर का अनाप्ति लिखने की बात कह रहा है तथा पूर्व में भी दिनांक 17.02.2021 को पंचो की बैठक कर 1,00,000/– एक लाख रुपये ले लिए।

विपक्षी संख्या 1, 2 के हक में किया गया आवन्टन दिनांक 08.02.2013 का ग्राम ढेलाना की आराजी नम्बर 158 जिसके आवन्टन के बाद आराजी न. 3796/158 रकबा 1 हेक्टेयर आवन्टन को निरस्त फरमा राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 1, 2 का नाम हटाकर कथित जमीन पूर्ववत गैर काबिल काश्त के रुप में दर्ज करायी जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश मीणा द्वारा उपस्थित होकर पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण मे अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी ऋषभदेव से आवंटन से संबंधित मूल पत्रावली तलब की जाकर प्रकरण मे बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित हुए। बहस प्रांरभ करते हुये प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया कि मौजा ढेलाना, तहसील–ऋषभदेव की (एम.एल. 45/80 नवीं 3/2003) माईनिंग लीज 1980 की है। आवंटन 2013 में हुआ है। हमारी लीज 30.05.2034 तक वैध है। जमाबन्दी में दाखिला नहीं लगा होने से अप्रार्थीगण को आवंटित हो गयी।वर्तमान में 25 हैक्टयर भूमि खनन लीज की है मौके पर खनन हो रहा है। न्यायालय चाहे तो मौके की रिपोर्ट मंगवा सकते है।

उक्त आधारों पर विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त करने की मांग की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.06.13 11:12:25 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर बहस मे कथन किया कि माइनिंग लीज खनन विभाग से जारी की गयी है उनको पार्टी नही बनाया गया है। भूमि के स्वामित्व का कोई अधिकार नहीं है। लीज नवीनीकरण के आवेदन को 24.02.2013 को अयोग्य घोषित कर दिया।खनन विभाग की रिपोर्ट के बिन्दु सं. 10 के अनुसार मौके पर पीलर बने हुए नहीं है। लिम्बा पिता नगजी मीणा के द्वारा दिनांक 17.02.2021 को स्टाम्प क्रमांक 10929 खरीद कर एक लाख रुपया प्राप्त कर सहमति दे दी बतायी है वह फर्जी है क्योकि विपक्षीगण के द्वारा सुचना के अधिकार अधिनियम के तहम उक्त नम्बर पर स्टाम्प किसे विक्रय किया गया इसकी जानकारी चाही। उपपंजियक कार्यालय डुँगरपुर के द्वारा जारी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति के अनुसार उक्त स्टाम्प राकेश पाटीदार लाईसेंस नम्बर 12/17 मुद्रांक विक्रय रजिस्टर संख्या के अनुसार दिनांक 17.02.2021 को स्टाम्प क्रमांक 10929 नम्बर पर श्री लिम्बाराम के नाम से जारी होकर सुगन्धजी/अजय पंचाल डुँगरपुर के नाम से जारी होना पाया गया और क्रय की दिनांक भी अंकित नहीं है। उक्त फर्जी दस्तावेज के लिए पुलिस थाना ऋषभदेव में मामला दर्ज कराया गया जिसके एफआईआर नम्बर 122/2021 है। स्टाम्प क्रमांक 4566 दिनांक 01.02.2021 को माफीनामा के रुप में देने का भी अंकन किया है। तहसीलदार के आदेश पर गिरदावर की रिपोर्ट है। मौके पर हमारा कब्जा है, 1796 रकबा है, सन 1984 से पूर्व का मकान बना हुआ है। 91 की भी पेनाल्टी जमा करवायी है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। माइनिंग लीज 30.05.2034 तक 50 वर्ष की लीज है। आवंटन लीज के बाद हुआ है। पूर्व में लीज स्वीकृत थी। हांलाकि अप्रार्थी की ओर से फ्रॉड एवं मिसरिप्रजेन्टेशन साबित नही है लेकिन आवंटन के दिन भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध नही थी। यह सही है कि विपक्षीगण को उक्त आवंटन त्रुटिपूर्ण हुआ है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2015(2) आर.आर.टी. पृष्ठ 1037 एवं आर.बी.जे (18) पृष्ठ 201 प्रकरण मे आंशिक चस्पा होते हैं। उपरोक्त समग्र तथ्यों पर विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4), कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव द्वारा किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 1, 2 का नाम हटाकर कथित जमीन पूर्ववत गैर काबिल काश्त के रुप में दर्ज की जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.06.13 11:12:25 IST
Reason: SelfAttested